न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष पॉक्सो एक्ट, कोर्ट संख्या–3 लखनऊ

उपस्थित : चन्द्रमोहन मिश्र– एच0जे0एस0
जे.ओ. कोड–यू.पी. 1656

UPLK010118762022

Sessions Trial/1471/2022

राज्य

बनाम्

जयसिंह पुत्र–श्री महेशलाल, निवासी–असलमनगर, थाना–नगराम, जिला–लखनऊ।

मु0अ0सं0–212 / 2021,
धारा–354,454घ, 323 व 504 भा0दं0सं0
व 7 / 8 पाक्सो एक्ट,
थाना–नगराम, लखनऊ

अपराध की तिथि व समय	दिनांक 13.10.2021 को समय 17.30 बजे
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	दिनांक–14.10.2021 को समय 15.17 बजे
आरोप पत्र की तिथि	08.07.2022
आरोप विरचन की तिथि	29.04.2024
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	03.02.2025
निर्णय की तिथि	02.05.2026

अभियोजन साक्षियों की सूची–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
PW1	पीड़िता की माता	वादिनी मुकदमा / तथ्य की साक्षी
PW2	पीड़िता	तथ्य की साक्षी
PW3	पीड़िता के पिता	तथ्य की साक्षी

अभियोजन प्रदर्शो की सूची–

क्रम संख्या	प्रदर्श की संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श क–1	तहरीर
2.	प्रदर्श क–2	धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान
3.	प्रदर्श क–3	चिक एफआईआर
4.	प्रदर्श क–4	जी0डी0
5.	प्रदर्श क–5	नक्शा नजरी
6.	प्रदर्श क–6	आरोप–पत्र
7.	प्रदर्श क–7	पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट

अभियोजन की ओर से अधिवक्ता	विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट श्री शैलेश कुमार सिंह एवं अजीत कुमार दूबे एडवोकेट
बचावपक्ष की ओर से अधिवक्ता	श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी का दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	आरोपित धाराएं	दोष मुक्त/दोष सिद्ध किया गया	दण्डादेश	धारा–428 के उद्देश्य हेतु अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान जेल में बिताई गयी अवधि
1–	जय सिंह	रिकार्ड के अनुसार	रिकार्ड के अनुसार	धारा 354, 354घ, 323 व 504 भा0दं0सं0 एवं धारा–7/8 पॉक्सो अधिनियम	दोषमुक्त	रिकॉर्ड के अनुसार	रिकॉर्ड के अनुसार

निर्णय

1. पुलिस थाना नगराम, जनपद लखनऊ द्वारा अभियुक्त जयसिंह पुत्र–श्री महेशलाल, निवासी–असलमनगर, थाना–नगराम, जिला–लखनऊ के विरूद्व आरोप पत्र मु0अ0सं0–212/2021,अंतर्गत धारा–354, 354घ, 323 व 504 भा0दं0सं0 भा0दं0सं0 व 7/8 पाक्सो एक्ट, थाना–नगराम, लखनऊ में प्रेषित किये जाने और अंतरण से इस न्यायालय को प्राप्त होने पर अभियुक्त उपरोक्त का विचारण किया जा रहा है।

2. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228ए तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 33(7) के उपबन्ध तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत मामले में पीड़िता के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। उसके नाम के स्थान पर ''पीड़िता'' शब्द उल्लिखित किया जायेगा।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा.... पत्नी–....., निवासी–दुल्हापुर हुसेनाबाद, थाना–नगराम, जिला–लखनऊ ने थानाध्यक्ष नगराम को संबोधित तहरीर में निवेदन किया है कि विपक्षी जयसिंह पुत्र महेश, निवासी असलम नगर, थाना नगराम लखनऊ ने आये दिन बुरी नियत से मेरे दरवाजे आकर मेरी लड़की... उम्र करीब 14 वर्ष को परेशान करता है। दिनांक 13.11.2021 को समय करीब 5.30 बजे सायं पीड़िता बाहर शौच करने हेतु गयी थी तो जयसिंह वहीं लड़की के पास आकर गन्दी–गन्दी गालियां देकर मारपीट करके छेड़छाड़ करने लगे। जय सिंह अपनी गाड़ी लेकर भगा तो वह वही पर जमीन पर गिर गया। अतः निवेदन किया है कि मेरी रिपोर्ट दर्ज करके मौके की जांच करके उचित कानूनी कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

04. उक्त तहरीर के आधार पर थाना–नगराम में अभियुक्त जयसिंह के विरूद्ध मु0अ0सं0 212/2021, धारा–354,323,504 भा0दं0सं0 व 7/8 पाक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया तथा विवेचना विवेचक को संदर्भित की गयी।

05. दौरान विवेचना साक्षीगण के बयानात अंर्तगत धारा–161 दं.प्र.सं. लिखे गये तथा घटना स्थल का रेखीय मानचित्र तैयार किया गया। साक्षियों के बयानात व संकलित समस्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त जयसिंह के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 354,323,504 व 354घ भा0दं0सं0 व 7/8 पाक्सो एक्ट में दाखिल किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

06. अभियुक्त के उपस्थित आने पर उसे अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां उपलब्ध करायी गयी और दिनांक 29.04.2024 को अभियुक्त जयसिंह के विरूद्ध धारा 354,323,504 व 354घ भा0दं0सं0 व 7/8 पाक्सो एक्ट में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग की।

07. अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को सिद्ध करने के लिये मौखिक साक्षीगण के रूप में **पी0डब्ल्यू0–1** पीड़िता की माता/वादिनी मुकदमा, **पी0डब्लू02** पीड़िता, **पी0डब्लू03** पीड़िता के पिता को परीक्षित कराया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन के शेष प्रपत्रों की औपचारिकता को स्वीकार किया गया। अभियोजन पक्ष ने अपना साक्ष्य समाप्त किया।

08. दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से प्रदर्श क–1 तहरीर, प्रदर्श क–2 धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान, प्रदर्श क–3 चिक एफआईआर, प्रदर्श क–4

जी0डी0, प्रदर्श क–5 नक्शा नजरी, प्रदर्श क–6 आरोप–पत्र, प्रदर्श क–7 पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट को साक्षीगण द्वारा साबित कराया गया है।

09. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए कहा गया है कि आरोप–पत्र गलत प्रेषित किया गया है एवं कथन किया है कि मैं निर्दोष हूं तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

10. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 पीड़िता की माता/वादिनी मुकदमा ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि ''मेरी बेटी/पीड़िता गांव के सरकारी स्कूल मे पढ़ी है। उसके बाद किसी स्कूल में नहीं पढ़ने गयी है। घटना की तारीख मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन घटना को लगभग 4 साल हो गये हैं, समय शाम के साढ़े पांच बजे की है। हाजिर अदालत अभियुक्त जय सिंह मेरी लड़की को आये दिन रोककर परेशान करता था और मोबाइल नम्बर से बात करते थे। घटना वाले दिन मेरी बेटी शौच करने गयी थी। वहीं पर जय सिंह आ गया। मेरी बेटी को गन्दी–गन्दी गालियां देने लगा। मेरी लड़की को गाली दिया था, झगड़ा नहीं किया था। जय सिंह मेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ करके भाग गया था। भागने पर जयसिंह गाड़ी सहित गिर गया। वहां पर भीड़ लग गयी थी, मुल्जिम जयसिंह वहां से भाग गया था। फिर हम लोग वहां से थाने गये। जहां पर घटना की रिपोर्ट लिखायी। थाने पर संलग्न पत्रावली कागज संख्या ए–6/3 गवाह को दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि यह वही दरखास्त मैंने देकर रिपोर्ट लिखायी थी। इसपर मेरे अंगूठा के निशान है, इसको मैं तस्दीक करती हूं, जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया।''

11. साक्षी की सत्यनिष्ठा परखने हेतु अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि घटना के समय मेरी पुत्री पढ़ती नहीं थी। मेरा यह कहना सत्य है कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर जो डेट आफ बर्थ लिखी है, वह सत्य है। यह कहना सही है कि मेरी पुत्री की जो कक्षा 8 में जन्मतिथि लिखी है, वह बढ़ाकर लिखाई गयी है। मैंने घटना की रिपोर्ट लोगों के बहकाने पर लिखाई थी। यह बात सही है कि घटना के समय मैं घर पर नहीं थी। मेरी पुत्री को जयसिंह छेड़ा था या नहीं यह मैं नहीं बता सकती।

12. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि ''मैं सरकारी स्कूल गांव में जो है उसमें पढ़ी हूं। मुझे तारीख, महीना व सन् याद नहीं है। काफी दिन की बात है, इसलिए भूल गई। समय शाम के 5–6 बजे का रहा है। मेरी मम्मी व जय सिंह से बातचीत हुयी थी और मुझे कुछ नहीं मालूम। उस

समय मैं नहीं थी। मम्मी थाने पर रिपोर्ट लोगों के कहने पर लिखा दी थी। थाने की पुलिस ने व लेडीज पुलिस ने हमसे पूछताछ की थी। मेरा मेडिकल नहीं हुआ था। हमको थाने की पुलिस, महिला पुलिस अस्पताल मेडिकल कराने नहीं ले गयी थी। न्यायालय की अनुमति से पीड़िता का 164 दं0प्र0सं0 का लिफाफा खोला गया। गवाह को 164 दं0प्र0सं0 के बयान पर चस्पा फोटो दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि यह मेरा फोटो है। जिसपर मेरे हस्ताक्षर है, जिसको मैं तस्दीक करती हूं। जिसपर प्रदर्श –2 डाला गया।''

13. साक्षी की सत्यनिष्ठा परखने हेतु अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि जय सिंह को उस रोड पर कभी कभी आते जाते देखा है, रोज नहीं देखा है। जयसिंह से व मेरे चाचा पूर्णमासी से मारपीट हुयी थी। घटना की जानकारी होने के बाद मेरी मां ने बदले की भावना से चाचा के साथ हुए मारपीट को ध्यान में रखते हुए जयसिंह पर यह झूठा मुकदमा लिखाया। मां ने जैसा–जैसा बोला वैसा वैसा दिया। जयसिंह द्वारा मेरे साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी या कोई घटना कारित नहीं की गयी। मेरी मां द्वारा जयसिंह पर लिखाया गया मुकदमा झूठा व निराधार व बदले की भावना से लिखाया गया है।

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्ल्यू0–3 पीड़िता के पिता/तथ्य के साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि ''घटना की तारीख मुझे नहीं मालूम। मेरी लड़की शौच करने गयी थी। मैं मौके पर नहीं था। क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। दरोगा जी से मुझसे मुलाकात ही नहीं है। हाजिर अदालत अभियुक्त जय सिंह को मैं नहीं पहचानता।''

15. साक्षी की सत्यनिष्ठा परखने हेतु अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मेरी पुत्री कक्षा 5 तक पढ़ी है। मेरी पुत्री का जन्म कब हुआ था, मुझे नहीं मालूम। अभियुक्त जयसिंह की लड़ाई मेरे भाई पूर्णमासी से भी हुयी थी मुझे यह बात नहीं पता कि किस तारीख को हुयी थी। जयसिंह ने मेरे भाई पूर्णवासी पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जानकारी मुझे है। घटना के दौरान मैं खेत पर था। मौके पर उपस्थित नहीं था।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक, पास्को एक्ट द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि पी0डब्लू01 पीड़िता की माता/वादिनी मुकदमा, पी0डब्लू02 पीड़िता व पी0डब्लू03 पीड़िता के पिता ने अपने मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है, लेकिन शेष अभियोजन प्रपत्रों से अभियोजन कथानक का समर्थन होता है। अतः अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

17. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने बचाव में यह तर्क दिया गया कि अभियोजन कथानक पूर्ण रूप से झूठा एवं मनगढन्त है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षियों ने मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के बयान के आधार पर अभियोजन कथानक को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असमर्थ रहा है।

18. मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

19. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 1 पीड़िता की माता/वादिनी मुकदमा जो तथ्य की साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *'' मेरी बेटी/पीड़िता गांव के सरकारी स्कूल मे पढ़ी है। उसके बाद किसी स्कूल में नहीं पढ़ने गयी है। घटना की तारीख मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन घटना को लगभग 4 साल हो गये हैं, समय शाम के साढ़े पांच बजे की है। हाजिर अदालत अभियुक्त जय सिंह मेरी लड़की को आये दिन रोककर परेशान करता था और मोबाइल नम्बर से बात करते थे। घटना वाले दिन मेरी बेटी शौच करने गयी थी। वहीं पर जय सिंह आ गया। मेरी बेटी को गन्दी–गन्दी गालियां देने लगा। मेरी लड़की को गाली दिया था, झगड़ा नहीं किया था। जय सिंह मेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ करके भाग गया था। भागने पर जयसिंह गाड़ी सहित गिर गया। वहां पर भीड़ लग गयी थी, मुल्जिम जयसिंह वहां से भाग गया था। फिर हम लोग वहां से थाने गये। जहां पर घटना की रिपोर्ट लिखायी।''* बचाव पक्ष की जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना के समय मेरी पुत्री पढ़ती नहीं थी। मेरा यह कहना सत्य है कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर जो डेट आफ बर्थ लिखी है, वह सत्य है। यह कहना सही है कि मेरी पुत्री की जो कक्षा 8 में जन्मतिथि लिखी है, वह बढ़ाकर लिखाई गयी है। मैंने घटना की रिपोर्ट लोगों के बहकाने पर लिखाई थी। यह बात सही है कि घटना के समय मैं घर पर नहीं थी। मेरी पुत्री को जयसिंह छेड़ा था या नहीं यह मैं नहीं बता सकती।''

20. इस प्रकार पी0डब्लू0 1 पीड़िता की माता/वादिनी मुकदमा जो तथ्य की साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, लेकिन प्रतिपरीक्षा के बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। जिस कारण इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक पूर्णतया संदिग्ध हो जाता है।

21. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 2 पीड़िता जो तथ्य की साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *'' मैं सरकारी स्कूल गांव में जो है उसमें पढ़ी*

हूं। मुझे तारीख, महीना व सन् याद नहीं है। काफी दिन की बात है, इसलिए भूल गई। समय शाम के 5–6 बजे का रहा है। मेरी मम्मी व जय सिंह से बातचीत हुयी थी और मुझे कुछ नहीं मालूम। उस समय मैं नहीं थी। मम्मी थाने पर रिपोर्ट लोगों के कहने पर लिखा दी थी। थाने की पुलिस ने व लेडीज पुलिस ने हमसे पूछताछ की थी। मेरा मेडिकल नहीं हुआ था। हमको थाने की पुलिस, महिला पुलिस अस्पताल मेडिकल कराने नहीं ले गयी थी।'' बचाव पक्ष की जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि जय सिंह को उस रोड पर कभी कभी आते जाते देखा है, रोज नहीं देखा है। जयसिंह से व मेरे चाचा पूर्णमासी से मारपीट हुयी थी। घटना की जानकारी होने के बाद मेरी मां ने बदले की भावना से चाचा के साथ हुए मारपीट को ध्यान में रखते हुए जयसिंह पर यह झूठा मुकदमा लिखाया। मां ने जैसा–जैसा बोला वैसा वैसा दिया। जयसिंह द्वारा मेरे साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी या कोई घटना कारित नहीं की गयी। मेरी मां द्वारा जयसिंह पर लिखाया गया मुकदमा झूठा व निराधार व बदले की भावना से लिखाया गया है।

22. इस प्रकार पी0डब्लू0 2 पीड़िता जो तथ्य की साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। जिस कारण इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक पूर्णतया संदिग्ध हो जाता है।

23. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 3 पीड़िता के पिता जो तथ्य की साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *''घटना की तारीख मुझे नहीं मालूम। मेरी लड़की शौच करने गयी थी। मैं मौके पर नहीं था। क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। दरोगा जी से मुझसे मुलाकात ही नहीं है। हाजिर अदालत अभियुक्त जय सिंह को मैं नहीं पहचानता।''* बचाव पक्ष की जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि मेरी पुत्री कक्षा 5 तक पढ़ी है। मेरी पुत्री का जन्म कब हुआ था, मुझे नहीं मालूम। अभियुक्त जयसिंह की लड़ाई मेरे भाई पूर्णमासी से भी हुयी थी मुझे यह बात नहीं पता कि किस तारीख को हुयी थी। जयसिंह ने मेरे भाई पूर्णवासी पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जानकारी मुझे है। घटना के दौरान मैं खेत पर था। मौके पर उपस्थित नहीं था।

24. इस प्रकार पी0डब्लू0 3 पीड़िता के पिता जो तथ्य के साक्षी है, ने अपने मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। जिस कारण इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक पूर्णतया संदिग्ध हो जाता है।

25. जहां तक पीड़िता की उम्र का प्रश्न है। अभियोजन की ओर से परीक्षित पी0डब्लू01 पीड़िता की माता/वादिनी मुकदमा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि *''मेरा यह कहना सत्य है कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर जो डेट आफ बर्थ लिखी है, वह सत्य*

है। यह कहना सही है कि मेरी पुत्री की जो कक्षा 8 में जन्मतिथि लिखी है, वह बढ़ाकर लिखाई गयी है।'' इसी प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू03 पीड़िता के पिता ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि *''मेरी पुत्री कक्षा 5 तक पढ़ी है। मेरी पुत्री का जन्म कब हुआ था, मुझे नहीं मालूम।''* इस प्रकार उक्त तथ्य के साक्षियों के बयान के विश्लेषण से स्पष्ट है कि पीड़िता को घटना के समय बालिग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के समस्त साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, जिस कारण पीड़िता के बालिग होने या न होने का कोई लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता।

26. यद्यपि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्र प्रदर्श क–3 चिक एफआईआर, प्रदर्श क–4 जी0डी0, प्रदर्श क–5 नक्शा नजरी, प्रदर्श क–6 आरोप–पत्र, प्रदर्श क–6 पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया है, लेकिन तथ्य से इंकार किया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **नर्मदा देवी गुप्ता बनाम वीरेन्द्र कुमार जायसवाल (2003) 8 एस0सी0सी0 पेंज 745** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार करने मात्र से अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि **दिनेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2009(67) ए0सी0सी0 सुप्रीम कोर्ट पेंज 734** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दोषसिद्धि के लिए अभियोजन पक्ष को अभियुक्त पर लगाये गये आरोप सन्देह से परे साबित करने होते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण का साक्ष्य इस स्तर की नहीं है जिससे अभियोजन कथानक साबित माना जा सके और अभियुक्त की दोषसिद्धि की जा सके। अतः मात्र अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार कर लिये जाने से अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

27. अतः उपरोक्त समग्र विवेचना से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों के बयान से अपने कथानक को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त जय सिंह के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 354,354घ,323 व 504 भा0दं0सं0 व 7/8 पाक्सो एक्ट में युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्त उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

28. अभियुक्त जय सिंह को मु0अ0सं0 212/2021, अन्तर्गत धारा 354,354घ,323 व 504 भा0दं0सं0 व 7/8 पाक्सो एक्टमें दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानतनामें तथा बंध–पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभू को उनके दायित्व से उन्मोचित किये जाते हैं।

अभियुक्त दौरान अपील धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में 20000/–रूपये का व्यक्तिगत बंध–पत्र तथा इसी धनराशि की दो प्रतिभू एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे।

(चन्द्रमोहन मिश्र)
दिनांक–02.05.2026 अपर जिला सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
पॉक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या–3 लखनऊ।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्तारक्षित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(चन्द्रमोहन मिश्र)
दिनांक– 02.05.2026 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
पॉक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या–3 लखनऊ।

CHANDRA MOHAN MISHRA
ADJ-SPL. JUDGE POCSO COURT NO 3 AT ,LUCKNOW

Digitally signed by Chandra Mohan Mishra
Date: 2026.05.04 11:26:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court